IJAER/ Jan-Feb 2023/Volume-12/Issue-1 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

भारत में आतंकवाद के कारणों पर एक नजर

Bablu Khichi
Research Scholar
Vikram University, Ujjain (M.P.)

Prof. (Dr.) Inamur Rehman
Research Supervisor
Government New Law College, Indore (M.P.)

विषय प्रवेश :

मानवाधिकार और आतंकवाद के बीच खींचतान वैश्विक चिंता का विषय बन गई है। हालाँकि, विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार आतंकवाद की शैली काफी भिन्न होती है। मानव अधिकारों की माँग वहाँ उभरती है जहाँ आतंकवाद किसी भी व्यक्ति के न्यूनतम बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसलिए, 'मानवाधिकार' और 'आतंकवाद' शब्द पारस्परिक हैं। भारत में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूह लगातार और खतरनाक तरीके से काम करते हैं, राष्ट्रीय संपत्तियों को नष्ट करते हैं, निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं। इस खतरे को नियंत्रित करने के लिए राज्य के पास सीमित भौतिक संसाधन हैं। वहीं दूसरी ओर आतंकवादी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं. आतंकवाद की समस्या पुरानी है लेकिन चुनौतियाँ नई हैं। इसने विश्व अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन को काफी प्रभावित किया है। यह मानव जाति के लिए एक अभिशाप है। मानवाधिकार और आतंकवाद के बीच गहरा संबंध है। यह ज्ञात है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व व्यापार केंद्र पर 9/11 के हमले और 13 दिसंबर, 2001 को भारत पर हुए हमलों के बाद दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में दर्ज इतिहास में कई चरणों में आतंकवाद एक रूप में दूसरे रूप में अस्तित्व में था। संसद और 26 नवंबर, 2008 को मुंबई में हुए हमले के बाद आतंकवाद ने नया आयाम ग्रहण कर लिया और आधुनिक सभ्य समाज की बुनियाद को खतरे में डाल दिया है। भारत आतंकवाद से अछूता नहीं है।

प्रस्तावना

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुसार, आतंकवाद स्पष्ट रूप से मानवाधिकारों का एक पागल उल्लंघनकर्ता बन गया है। एनएचआरसी ने आगे टिप्पणी करते हुए कहा कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। वह धर्म के सिद्धांतों में विश्वास नहीं करता क्योंकि कोई भी धर्म ऐसी उन्मादी हिंसा का प्रचार नहीं करता। इसलिए, किसी भी रंग का आतंकवाद हो, सभी को स्पष्ट रूप से इसकी निंदा करनी चाहिए। जिसे मुंबई में भारत के सबसे भयानक आतंकवादी हमलों में से एक कहा जा सकता है, आतंकवादियों ने ताज महल पैलेस और टॉवर होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल, मेट्रो थिएटर और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस) रेलवे स्टेशन सहित उच्च प्रोफ़ाइल स्थलों पर हमला किया। एक विदेशी पर्यटक और चार

शीर्ष पुलिस अधिकारियों सहित कम से कम 101 लोग मारे गए और 250 से अधिक घायल हो गए। यह संकट कई दिनों तक जारी रहा और आतंकवादियों ने दो पाँच सितारा होटलों में लोगों को बंधक बना लिया।

आतंकवाद ने दुनिया के कोने-कोने तक अपनी पहुंच बना ली है, बहुत कम देश इसके दुष्प्रभाव और परिणामों से बचे हैं। पिछले कुछ दशकों में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि ने आतंकवाद को वर्तमान समय की सबसे चिंताजनक समस्याओं में से एक बना दिया है। आज, दुनिया भर में लोगों और सरकार को सीधे प्रभावित करने वाले मुद्दों में से, आतंकवाद ने लगभग सभी राज्यों को ऐसे उपद्रवियों के हाथों पीड़ित होने के साथ केंद्र का स्थान ले लिया है। पिछले तीन दशकों से आतंकवादी अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय संबंधों को बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये आतंकवादी समूह कई प्रकार के कृत्यों में लगे हुए हैं जो जनता का ध्यान अपने कारणों की ओर आकर्षित करते हैं, हत्या में उनकी भागीदारी, राजनयिकों, राजनेताओं और उनके करीबी रिश्तेदारों का अपहरण, भीड़ भरे स्थानों, दूतावासों, व्यापारिक घरों और पूजा स्थलों पर बमबारी, अपहरण। और समुद्री डकैती और परमाणु आतंकवाद के खतरे ने सार्वजनिक जीवन में अत्यधिक भय और अनिश्चितता पैदा कर दी है और इससे विश्व शांति, सुरक्षा और व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हुई है।

यह एक अतिप्रतिक्रिया बन जाती है और ऐसी गतिविधियों का मुकाबला करने में सरकार की अक्षमता को प्रदर्शित करती है। ऐसी घटनाओं का उद्देश्य ऐसी आतंकवादी गतिविधियों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के बजाय जनता के मनोविज्ञान को प्रभावित करना है। आतंकवादी आमतौर पर आम जनता के अधिकारों का उल्लंघन करके और उन्हें अपनी मांगों पर ध्यान देने के लिए मजबूर करके किसी भी देश की सरकार के साथ दिमागी खेल खेलते हैं। वर्षों बीतने के साथ, आतंकवाद के चेहरे पर एक बड़ी उथल-पुथल हुई है और दुनिया भर के राज्य इस तरह के कृत्यों का शिकार बन गए हैं और बहुत कम देश बच पाए हैं। इस पृष्ठभूमि में, वर्तमान शोध आतंकवाद के इतिहास और विवरण को रेखांकित करेगा; आतंकवाद से संबंधित टाडा, पोटा और यूएपीए जैसे कानूनों का विश्लेषण करें और उन परिस्थितियों का विश्लेषण करें जिनके तहत इसे निरस्त किया गया है। वर्तमान में लागू कानून, एनआईए अधिनियम की जांच देश में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अधिनियम की दक्षता का पता लगाने के लिए की जाएगी। इसके अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित कानूनों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय शासन में आतंकवाद से संबंधित कानूनों का मूल्यांकन भी किया जाएगा। मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में आतंकवाद का प्रभाव इस विषय पर व्यापक दृष्टिकोण देगा। बदलती दुनिया में, जहां युद्ध और आतंकवादी गतिविधियां बड़े पैमाने पर हैं, यह अध्ययन आतंकवाद की समस्या को समझने के लिए प्रेरणा देगा और ऐसे कृत्यों से निपटने के लिए साधन और उपाय सुझाएगा।

भारत में स्थिति

आतंकवाद पूरी दुनिया में अपने पैर पसार रहा है और एक वैश्विक समस्या बन गया है। भारत दुनिया के अन्य देशों से अलग और विशिष्ट है क्योंकि यह एक ऐसा देश है जहां बड़ी संख्या में देशी, घरेलू-आतंकवादी समूह मौजूद हैं, साथ ही पड़ोसी देशों के काफी अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी समूह और इकाइयां मौजूद हैं, जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हैं। . भारत उन देशों में से एक है जो आतंकवादी गतिविधियों के लिए भुगतान कर रहा है, पिछले वर्षों में पश्चिमी दुनिया को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। भारत का हर राज्य आतंकवादी हमलों से पीड़ित है, इसमें सिर्फ कश्मीर और पंजाब ही नहीं बल्कि मुंबई, दिल्ली और उत्तर पूर्व के राज्य भी शामिल हैं। आतंकवाद विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप देश में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। भारत को माओवादी नक्सलवाद, पीपुल्स वॉर ग्रुप और कई अन्य समूहों के रूप में विद्रोह और नक्सलवाद के प्रभाव से गुजरना पड़ा है। नेपाल सीमा तक अन्य राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित है। हमारे ऊपर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, जम्मू-कश्मीर और कई अन्य स्थानों पर आतंकवादी हमले हुए हैं।

आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि, सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों के विस्तार और देश के विभिन्न हिस्सों में विद्रोही समूहों के कारण भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा के प्रबंधन में विविध और विविध चुनौतियों का सामना कर रहा है। आतंकवादी समूह अब संचार के उच्च-तकनीकी साधनों और तरीकों का उपयोग कर रहे हैं। वे संचार प्रणाली, परिवहन, अत्याधुनिक हथियारों और विभिन्न अन्य साधनों के रूप में उपलब्ध उच्च तकनीकी सुविधाओं के माध्यम से प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहे हैं। ये सभी हाईटेक साधन उन्हें बड़े स्तर पर समाज में भय और आतंक पैदा करने में सक्षम बना रहे हैं. भारत में आपराधिक व्यवस्था इस प्रकार के भयानक अपराधों से निपटने के लिए तैयार नहीं की गई थी। आतंकवाद हमारी एकता, अखंडता, संप्रभुता और देशभक्ति की भावना पर प्रहार कर रहा है; यह समस्या की वह सीमा है जिससे हमें निपटने की आवश्यकता है। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली इस समस्या से निपटने में विफल रही, इस कारण आतंकवाद से निपटने और रोकथाम के लिए कठोर कानून बनाना आवश्यक हो गया। भारतीय विधायी निकाय ने आतंकवादियों और विघटनकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कई कानून बनाए हैं, कैंसर जैसा आतंकवाद पूरे राजनीतिक शरीर में फैलने और लोकतंत्र को नष्ट करने की संभावना है।

भारत और आतंकवाद या भारतीय संदर्भ में आतंकवाद

मई 2017 में, फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप में मरावी शहर खुद को इस्लामिक स्टेट (आईएस) कहने वाले सशस्त्र समूह से जुड़े आतंकवादियों के खिलाफ फिलीपींस के सशस्त्र बलों के बीच संघर्ष का गवाह बना। उग्रवादियों में माउते समूह और अबू सय्यफ समूह शामिल थे जिन्होंने अगले पांच महीनों के लिए मरावी में 'आतंक का शासन' शुरू किया। लड़ाई के अंत तक 920 आतंकवादी, 165 सैनिक और 47 नागरिक मारे गए,

और 1,780 बंधकों को आईएस से जुड़े आतंकवादियों से बचाया गया। इस रक्तपात में घरेलू और विदेशी दोनों लड़ाके शामिल थे, जिनमें से ज्यादातर इंडोनेशिया और मलेशिया से आए थे। भले ही आधिकारिक युद्धविराम 23 अक्टूबर 2017 को घोषित किया गया था, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे पड़ोसी देशों और सऊदी अरब, तुर्की, मोरक्को, स्पेन, फ्रांस, ट्यूनीशिया, इराक जैसे राज्यों से मिंडानाओ में विदेशी आतंकवादियों की आमद हुई है। सोमालिया, मिस्र, यमन, लीबिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन, फिलीपींस में प्रवेश करने वाले आतंकवादियों में सीरिया से लौटे लोग और जेमाह इस्लामिया से जुड़े क्षेत्रीय लड़ाके भी शामिल हैं जिन्होंने अल कायदा से युद्ध कौशल सीखा है और अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ी है। इन प्रशिक्षित लड़ाकों का अतीत उग्रवादी रहा है और ये अनुभवहीन उग्रवादियों को भविष्य की कार्रवाइयों के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं।

26 नवंबर, 2008 की रात एकाएक मुंबई गोलियों की आवाज़ से दहल उठी। हमलावरों ने मुंबई के दो पाँच सितारा होटलों, रेलवे स्टेशन और एक यहूदी केंद्र को अपना निशाना बनाया। शुरू में किसी को अंदाज़ा तक नहीं था कि यह हमला इतना बड़ा है लेकिन धीरे-धीरे इस हमले का अंदाज़ा लगाया गया। 24 नवंबर, 2008 की रात में ही आतंकवाद निरोधक दस्ते के प्रमुख हेमंत करकरे समेत मुंबई पुलिस और एनएसजी के कमांडो सहित उच्चाधिकारियों ने मोर्चा संभाला और इस हमले में कई अधिकारियों ने अपनी जान गवाई। पोल कैफे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से शुरू हुआ आतंक का यह तांडव ताजमहल होटल पर जाकर ख़त्म हुआ। इस बीच सुरक्षा-कर्मियों को इस पर काबू पाने या ख़त्म करने में 60 से भी ज़्यादा घंटे लगे। इस पूरे ऑपरेशन में 164 लोगों ने अपनी जान गवाई।

भारत में आतंकवाद के कारण

भारत में व्यापक प्रसार आतंकवाद के कई कारण हैं। भारत में मुख्य रूप से चार प्रकार के आतंकवाद हैं। इसमें धार्मिक आतंकवाद, नार्को आतंकवाद, वामपंथी आतंकवाद और एथनो-राष्ट्रवादी आतंकवाद शामिल हैं। विभिन्न आतंकवादी संगठनो से जुड़े आतंकवादी अलग-अलग कारणों से एक जुट हो सकते हैं, परन्तु उनके अधीन चल रहे सभी आतंकवादी संगठनो का मुख्य उद्देश्य समान ही होता है और यह आम जनता के बीच बड़े स्तर पर भय और दहशत पैदा करने के लिए सदैव तैयार रहते है।

धर्म

भारत विभिन्न धर्मों की भूमि है। विभिन्न धर्मों के लोग बड़े पैमाने पर देश में शांति और सद्भाव के साथ रहते हैं, वहीं कई ऐसी धार्मिक चरमपंथी संगठन भी हैं जो उनके बीच दरार पैदा करना चाहती हैं। ये समूह अपने धर्म की शिक्षाओं के बारे में झुठा दावा करती हैं और यह साबित करने का प्रयास करती हैं कि उनका धर्म दूसरों के धर्म से श्रेष्ठ है। अतीत में इन समूहों द्वारा किए गए कई हिंसक आंदोलनों ने देश की शांति

और सद्भाव को भंग भी किया है और इस प्रकोप के कारण कई लोग को नुकसान भी हुआ है, जिसमे कई लोगो को अपनी जीवन भी गवाना पड़ा हैं।

एथनो-राष्ट्रवादी

चरमपंथी समूहों द्वारा इस प्रकार के आतंकवाद को सदैव उकसाया जाता है। जब एक राज्य की आबादी का प्रमुख हिस्सा खुद को अलग करने तथा अपना अलग राज्य/देश बनाने की इच्छा व्यक्त करता हैं तो वो आतंकवाद को बढ़ावा देता हैं। पंजाब में खालिस्तान आंदोलन इस प्रकार के आतंकवाद के उदाहरणों में से एक है। इस तरह के आतंकवाद के कारण कश्मीर जैसा सुंदर भारतीय राज्य भी इससे पीड़ित है क्योंकि कुछ कश्मीरी इस्लामी समूह कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। उसी तरह नागालैंड, त्रिपुरा, असम और तमिलनाडु भी इस प्रकार के आतंकवाद से पीड़ित हैं।

राजनीतिक कारण

सरकार तथा देश की राजनीतिक व्यवस्था से असंतुष्ट लोग आतंकवादी समूह का गठन करते हैं। भारत में वामपंथी उग्रवादियों को नक्सलवाद के नाम से जाना जाता हैं। अतीत में नक्सलवादीयों ने देश की राजनीतिक व्यवस्था से निराश होकर कई आतंकवादी हमले भी किए हैं। उन्होंने सशस्त्र विद्रोह के साथ सरकार को उखाड़ फेकने का लक्ष्य बनाया है, जिससे वह स्वंय की सत्ता का निर्माण कर सके।

सामाजिक-आर्थिक असमानता

भारत अपने सामाजिक-आर्थिक असमानता के लिए जाना जाता है। जहां अमीर और अमीर होते जा रहे हैं तथा गरीब और गरीब। ये गरीब वर्ग के बीच असमानता की भावना पैदा करता है। जिसके कारण ये ऊपरी वर्ग के लोगों को नष्ट करने के लिए आतंकवादी संगठनो में शामिल हो जाते हैं। वे ज्यादातर सत्ता लोगों तथा उच्चवर्गीय इलाकों को लक्ष्य बना कर आतंकवादी हमले करते हैं।

भारत में आतंकवाद का प्रभाव

आतंकवाद ने देश पर व्यापक प्रभाव डाला है। भारत में आतंकवाद के प्रभावों पर एक नज़र:

लोगों के बीच घबराहट

भारत में आतंकवाद ने आम जनता के बीच आतंक पैदा किया है। हर समय देश में एक विस्फोट, फायरिंग या अन्य प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां होती रहती है। इसके कारण, कई लोग असामयिक रूप से मरे जाते हैं और अन्य कई लोगों को अपना बाकी का जीवन विकलांग के रुप में गुजारना पड़ता हैं। इन हमलों के कारण आम जनता के बीच तनाव और चिंता का माहौल तथा डर पैदा हो जाता है और लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी डर लगने लगता हैं।

पर्यटन उद्योग पर प्रभाव

लोग, आतंकवादी हमलों से ग्रस्त स्थानों पर जाने से डरते हैं। बाहरी और अंदरुनी आतंकवादी संगठनो के आतंकवादी गतिविधियो के वजह से भारत के पर्यटन उद्योग और शांति व्यवस्था पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। आंतकवादी गतिविधियो के वजह से पर्यटन उद्योग कई महीनो के लिये ठप पड़ जाता है।

विदेशी निवेश

विदेशी निवेशक भारत और अन्य आतंकवाद से ग्रस्त देशों में निवेश से पहले कई बार सोचते हैं, क्योंकि ऐसे जगहो पर जोखिम काफी अधिक होता हैं और वे सुरक्षित विकल्पों की तलाश में होते हैं। जिससे भारतीय कारोबारीयों को भी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है।

सारणी संख्या - 1 विभिन्न राज्यों में आतंकवादी हिंसा में मारे गये लोग

राज्य	वर्ष	मारे गये लागे			
		आतंकवादी	नागरिक	सुरक्षा बल	कुल
कश्मीर	1988-अप्रेल 2013 तक	7504	4233	2057	13794
पंजाब	1981-अप्रेल 2013 तक	8098	11783	1750	21631
असम	1992-अप्रेल 2013 तक	2850	4018	809	7677
नागालैण्ड	1992-अप्रेल 2013 तक	1384	766	246	2396
त्रिपुरा	1992-अप्रेल 2013 तक	520	2509	455	3484

सारणी संख्या – 2 कश्मीर में आतंकवादी हिंसा में मारे गये लोग

वर्ष	मारे गये लागे			
	आतंकवादी	नागरिक	सुरक्षा बल	कुल
1988	1	29	1	31
1989	0	79	13	92
1990	183	862	132	1177
1991	614	594	185	1393
1992	873	859	177	1909
1993	1328	1023	216	2567
1994	1651	1012	236	2899
1995	1338	1161	297	2796
1996	1194	1333	376	2903
1997	1177	840	355	2372
1998	1045	877	339	2261
1999	1184	790	555	2529
2000	1908	842	638	3388
2001	1610	931	515	3056
2002	1714	839	469	3022
2003	1546	658	338	2542
2004	951	534	325	1810
2005	1000	521	218	1739
2006	599	349	168	1116
2007	492	164	121	777
2008	382	69	90	541
2009	242	55	78	375
2010	270	36	69	375

2011	119	34	30	183
2012	3	4	0	7
अप्रेल 2013 तक	2	0	5	7

कश्मीर में आतंकवादी हिंसा में मारे गये लोग वर्ष

निष्कर्ष

इस प्रकार, नई सहस्राब्दी में मानवाधिकारों के लिए एक प्रमुख चुनौती राष्ट्रीय और वैश्विक संदर्भ में वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित करना है। यदि मानवाधिकार सिद्धांत को वर्तमान में करने के लिए एक जरूरी काम है, तो यह तनाव को उसकी वर्तमान विनाशकारी गति से उस व्यक्ति के बीच एक रचनात्मक संतुलन की ओर मोड़ना है जिसे लोकतंत्र सशक्त बनाता है और सत्ता के स्रोतों, दोनों राज्य के तंत्र के भीतर और बाहर . यही कारण है कि नई सहस्राब्दी में मानवाधिकार आंदोलन को गरीबों के असंतुलन और विनियोजन को संबोधित करने की आवश्यकता है, जो मूल्यों को खतरे में डालते हैं - संभवतः लोकतंत्र के अर्थ को भी; और यही कारण है कि लोकतंत्र में कानून के शासन को कायम रखने के लिए जिम्मेदार न्यायपालिका को उन्हीं सवालों के समाधान के लिए अपना निर्णय देना पड़ता है। भारत में न्यायपालिका ने इन सवालों पर काफी हद तक संवेदनशीलता दिखाई है। जनहित याचिका जैसी विभिन्न तकनीकों के माध्यम से, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की व्यापक व्याख्या करना, अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करना, लैंगिक न्याय को बढ़ावा देना, नए प्रकार के प्रतिपूरक न्यायशास्त्र का निर्माण करना, सार्वजनिक कर्तव्य से बचने के लिए कार्यपालिका को जिम्मेदार ठहराना और सार्वजनिक मामलों के संचालन में पारदर्शिता और ईमानदारी की आवश्यकता है। , भारत में न्यायपालिका ने संतुलन बनाने का प्रयास किया है। कार्य अधूरा है और छिटपुट अनियमितताओं पर सख्ती से अंकुश लगाने की जरूरत है। लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति शासन संस्थानों की प्रतिबद्धता ही आशंकित खतरों के खिलाफ वास्तविक सुरक्षा है। जरूरत इन संस्थानों को सतर्क निगरानी के लिए मजबूत करने की है।

संदर्भ :

1. अरुण शौरी, "टाडा कभी भी पोटो प्रोटोटाइप नहीं था - नए आतंकवाद अध्यादेश के बारे में कुछ और गलतफहमियों को दूर करना" 12 नवंबर, 2011 हिंदुस्तान टाइम्स।
2. अतिन कुमार दास आतंकवाद का मुकाबला और मानवाधिकारों की सुरक्षा - प्रयास
3. बी. ग्रीन, 'नोट्स-ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट डिप्लोमैटिक एजेंट्स एंड अदर इंटरनेशनली प्रोटेक्टेड पर्सन्स: एन एनालिसिस', वर्जीनिया जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, वॉल्यूम। 14 (1973-1974), पृ.74
4. धीरज कुमार मिश्रा, टॉर्चर एंड थर्ड-डिग्री मेथड्स: सम रिफ्लेक्शन्स, न्याय दीप, खंड 12वां अंक 3, जुलाई 2011, पृष्ठ 16-17
5. ई. इवांस। "विमान अपहरण: क्या किया जा रहा है?" अमेरिकन जर्नल ऑफ़ इंटरनेशनल लॉ 1973, पृ. 644.
6. एच. एहार्ड, प्रमुख युद्ध अपराधियों और अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ नूर्नबर्ग परीक्षण, एजेआईएल, खंड। 43, 1949, पृ. 223.
7. एच. इकरामुल, पाक-अफगानिस्तान ड्रग ट्रेड इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, एशियन सर्वे, (1996) खंड। 36, संख्या 10, पृ. 945-963.
8. जे.आई. रॉस, विपक्षी राजनीतिक आतंकवाद के संरचनात्मक कारण: एक कारण मॉडल की ओर, जर्नल ऑफ पीस रिसर्च, 1993, पीपी. 317-329।
9. जे.एस. राजपूत, पुस्तक समीक्षा, बशारत पीर द्वारा 'कर्फ्यूड नाइट', जर्नल ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, भारत, खंड 8, 2019, पीपी. 2012-13।
10. जस्टिस एस.बी.सिन्हा, आतंकवाद, जस्टिस जे.के.माथुर मेमोरियल ट्रस्ट - ट्राइपॉड
11. न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा लायर, हिंसा और आतंकवाद, सुप्रीम कोर्ट केस जर्नल, खंड। 4. 1979, पृ.6.
12. न्यायमूर्ति वाई.के. सभरवाल, आतंकवाद की चुनौतियों का सामना - भारतीय मॉडल (भारत में प्रयोग)
13. के.डी. गौड़, जस्टिस टू विक्टिम्स ऑफ क्राइम, जर्नल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज, वॉल्यूम। 45 संख्या 1-2, जनवरी-जून 2011, नई दिल्ली, भारत, पृष्ठ 40-41।
14. के.जी. बालाकृष्णन, "आतंकवाद कानून का नियम और मानवाधिकार", ह्यूमन राइट्स टुडे, वॉल्यूम 10, संख्या 4, अक्टूबर-दिसंबर 2018 पृष्ठ 10

15. एन. बोइस्टर, दमन सम्मेलनों में मानवाधिकार संरक्षण, मानवाधिकार कानून समीक्षा, 2012, पीपी. 199-227